न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0–149/2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, धनबाद के पत्रांक–817, दिनांक– 23.06.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक भक्तेश्वर रवानी, पिता– हेलु रवानी, साकिम– बिनोद नगर, त्रिमूर्ति मंदिर, हीरापुर, थाना– धनबाद, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– भूदा, मौजा नं0– 48, खाता नं0– 05, प्लॉट सं0– 190, रकवा– 3.15 कट्ठा भूमि क्रेता बेला देवी, पति– मानिक चन्द्र रवानी, साकिम– आर.एस.पी. कॉलेज, नियर भगतडीह, परसाटाँड़, झरिया, थाना– झरिया, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कहार है तथा विक्रेता थाना– धनबाद एवं क्रेता थाना– झरिया, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 34 डिसमील भूमि मौजा– आमझर, अंचल– बलियापुर में शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 14:43:32 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner